राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4(6)ग्रा.वि.प/पं.जी अ .यो. /दिशा–निर्देश/2006/53 जयपुर,दिनांक : 21/1/2010

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–समस्त ।

विषय :–पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का तत्काल निस्तारण कर भुगतान करने के संबंध में ।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक 43 दिनांक 18.1.2010.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों की कमियों की सूची मय मूल आवेदन पत्र आवश्यक कमी पूर्ति हेतु आपको लौटाये जा रहे है । इस संबंध में विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से आपके जिले से संबंधित लम्बित आवेदन पत्रों की सूची प्राप्त कर ली गई है, जिसे संलग्न कर भिजवाकर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त सूची अनुसार **मूल आवेदन पत्रों को प्राप्त करने हेतु आप किसी कर्मचारी को भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर में दिनांक 31.1.2010 तक आवश्यक रूप से भिजवावें,** साथ ही प्रकरणों के संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप श्री के0एन0सेठ,मेनेजर(प्रशासन),भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर से उनके मोबाईल नम्बर 9414931687 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है ।

उक्त आवेदन पत्रों में सूचीअनुसार ग्राम पंचायत स्तर / पंचायत समिति स्तर/आशार्थी स्तर से आवश्यक कमी पूर्ति की जानी है साथ ही आप अपने स्तर पर दो वर्षो से लम्बित चल रहे उक्त प्रकरणों की समीक्षा कर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त सूचीअनुसार अभियान के तौर पर कमी पूर्ति करवाकर निस्तारण हेतु पुनःभारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करावें । यह कार्यवाही आवश्यक रूप से राजस्व अभियान से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जिससे अभियान के दौरान मौके पर ही आशार्थी को क्लेम का भुगतान हो सके ।

इसे प्राथमिकता प्रदान करे ।

अधिशाषी अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.प्रमुख शासन सचिव ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0जयपुर।
2.प्रबन्धक (पैशन एवं समूह), भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर ।

अधिशाषी अभियन्ता (मु0)